वित्तीय स्वीकृति (2017-18)

2/2018 /संख्या-1079/एक-5-2017-30/2013

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 21 नवम्बर, 2017

विषयः जनपद उन्नाव कलेक्ट्रेट में स्थित राजस्व अभिलेखागार के निर्माण कार्य हेतु अवशेष अन्तर की धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व परिषद के पत्र संख्या-1012/12-भवन-04/2008, दिनांक 23 अगस्त, 2017 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जनपद उन्नाव कलेक्ट्रेट स्थित राजस्व अभिलेखागार के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-690/एक-5-2015-30/2013, दिनांक 09 जून 2015 के द्वारा धनराशि रू0 254.80 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 135.31 लाख तथा शासनादेश संख्या-268/एक-5-2016-30/2013, दिनांक 13 जून, 2016 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 119.49 लाख अर्थात अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण शासनादेश संख्या 305ध/एक-5-2017-30/2013 दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु कार्य की पुनरीक्षित लागत धनराशि रू0 271.43 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष, पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि रु0 254.80 लाख को घटाते हुए (271.43-254.80द्) अवशेष धनराशि रू0 16.63 लाख (रूपये सोलह लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि तृतीय/अंतिम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई थी।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या 305/एक-5-2017-30/2013 दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा अवमुक्तं की गयी रू0 16.63 लाख (रूपये सोलह लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि कोषागार से आहरित न हो पाने के फलस्वरूप राजस्व अनुभाग-5 के पत्रांक 449/एक-5-2017-105/2015 दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा उक्त धनराशि वित्त विभाग को पुनर्ग्रहण हेतु समर्पित कर दी गई।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या 305/एक-5-2017-30/2013 दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की गयी रू0 16.63 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित न हो पाने के दृष्टिगत प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद उन्नाव कलेक्ट्रेट स्थित राजस्व अभिलेखागार के निर्माण कार्य हेतु पुनः रू0 16.63 लाख (रूपये सोलह लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्ति कर उक्त प्रयोजन हेतु व्यय किये जाने की अनुमति निम्निलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण.पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय.सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

(3) राजस्व परिषद द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या 305/एक-5-2017-30/2013 दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा अवमुक्त की गयी रू0 16.63 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित न हुई हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत संबन्धी पूर्व में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) राजस्व परिषद/सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का किसी प्रकार से उल्लघंन न हो।

(6) स्वीकृत धनराशि को डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-1079/एक-5-2017-30/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. जिलाधिकारी, उन्नाव।
6. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पूर्ववर्ती पैकफेड)/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7. राजस्व अनुभाग-6
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।